

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2014 को आसन्न लोक सभा निर्वाचन, 2014 के स्वच्छ, सफल एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं अन्य निर्वाचन कार्यों की तैयारियों से संबंधित बैठक की कार्यवाही :-

- उपस्थिति :- यथा पंजी।

सर्वप्रथम बैठक प्रारंभ करने के पूर्व जिले में नव पदस्थापित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उपस्थिति की समीक्षा की गई, जिसके क्रम में ज्ञात हुआ कि अंचल अधिकारी, बरियारपुर, थाना प्रभारी, टेटियाबंवर एवं संग्रामपुर जाम में फंसे हैं तथा विलम्ब होने की संभावना है। तदालोक आसन्न लोक सभा निर्वाचन, 2014 के मद्देनजर बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को यह सख्त निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन संबंधी बैठकों को नजरअंदाज नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि निर्वाचन कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है तथापि लोकसभा निर्वाचन, 2014 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु सभी पदाधिकारियों का आपसी समन्वय बेहतर होना आवश्यक है।

तत्पश्चात् श्री अनिल कुमार राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर (9471003961) द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2013-EPS, दिनांक 02.01.2014 के आलोक में निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारी पूर्ण किए जाने एवं निर्वाचन के सफल संचालन की आवश्यकता के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर के आदेश ज्ञापांक 148/नि0, दिनांक 22.02.2014 द्वारा विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई जो अधोलिखित है :-

क्र0	कोषांग का नाम	वरीय पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी	मोबाईल नं0	अन्य प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	मोबाईल नं0
1	कार्मिक	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा, अपर समाहर्ता, मुंगेर	9473191392	श्री जैनेन्द्र कु0 सिंह, निदेशक, DRDA	9431818425 9431295882
				श्री पंकज झा, DIO (NIC)	9473195006
				श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी	9234337140
				श्री अजय कु0 सिंह, DPO, स्थापना, शिक्षा विभाग	9934690681
2	सामग्री	श्री नागेन्द्र प्र0 सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	श्री आशीष कु0 बरियार, SDC	9431220151
				श्री सुधीर कु0 दास, ASO, मुंगेर	9631579450
				श्री दिलीप कु0 दास, अवर निबंधक, मुंगेर	9470674562
3	वाहन	श्री नागेन्द्र प्र0 सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	श्री अमजद अली, निदेशक, NEP, मुंगेर	9470853786
				श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर	9431033387
				श्री जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदा0	9472917162
				श्री राजा रंजीत राव, कार्य0 पदा0, अजाविनी, मुंगेर	9473199189
				श्री अशोक कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	9431818949
4	EVM-सह-मतदान दल प्रशिक्षण	श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर	9431154179	डॉ0 रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बंदोवस्त, मुंगेर	8092225447
				श्री प्रमोद कुमार, DM, SFC	9430925441
				श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, DPO, माध्यमिक शिक्षा	9631335856
				श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, कार्य0 अभि0, LAEO, मुंगेर।	9430029413

5	मतगणना केन्द्र, वज्रगृह निर्माण	श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर	9431154179	श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम	9430925441
				श्री राकेश कुमार, कार्यो अभि०, भवन प्रमंडल, मुंगेर	9334116693
6	निर्वाचन व्यय लेखा	श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच , मुंगेर	9431154179	श्री विपिन कु० सिंह, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, मुंगेर	9470001718
				श्री सुखदेव प्रसाद, जिला पंचायत राज पदा०, मुंगेर	9835471596
				श्री राजीव कुमार झा, वाणिज्य कर पदा०, मुंगेर	9471404372
7	आदर्श आचार संहिता	मुंगेर जिला			
		श्री नागेन्द्र प्र० सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	श्री अमिताभ गुप्ता, SDC	9430532188
				श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर	9430694131
		सदर अनुमंडल			
		डॉ० कुन्दन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर	9473191393	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	9431800028
				श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	9835268153
				अंचल निरीक्षक, सदर	9939490789
		खड़गपुर अनुमंडल			
		श्री राशिद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर	9473191394	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर	9431800026
				श्रम प्रवर्तन पदा०, खड़गपुर	9973337748
तारापुर अनुमंडल					
श्री नवीन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	9473191395	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तारापुर	9431214243		
प्रखंड स्तर पर भी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी एवं अन्य पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर इस कोषांग के संचालन हेतु किया गया है।					
8	मतपत्र विखंडन/डम्मी बैलेट/डाक मतपत्र	श्री नागेन्द्र प्र० सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	श्री प्रताप भानू, कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर	9431315653
				श्री राजेश कुमार सिंह, जिला भविष्य निधि पदा०	9431632870
9	सुरक्षा बल कोषांग	श्री प्रभात कु० सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	9470488483	श्री राजेन्द्र दास, DPO(ICDS), मुंगेर।	9431005053
				श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदा०, मुंगेर	9835268153
				श्री अरविन्द कु० सिन्हा, ASO, जमालपुर	9431370116
10	प्रेक्षक	श्री नागेन्द्र प्र० सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	श्री विजय कुमार, नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर	8294318080
				श्री सुनील कुमार, उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर।	9473400626
11	मीडिया	श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला जनसंपर्क पदा०, मुंगेर	8986156872	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, SDC	9431236388
				श्रीमती मीरा कुमारी, CDPO, शहरी।	9431005560
				श्रीमती रंजू देवी, CDPO, ग्रामीण।	9431005553
				श्रीमती पद्मा जयश्री, CDPO, जमालपुर।	9431005550

12	कम्प्यूटराईजेशन	श्री पंकज झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी	9473195006	श्री रवि धानुका, PMRDF	9199018050
				श्री अंकुश सिंह, PMRDF	9472434802
				श्री नीतीश कुमार, IT Manager	9709817778
13	SVEEP	श्री नागेन्द्र प्र० सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।	9431818368	डॉ० कुंदन कुमार, अनुमंडल पदा०, सदर	9473191393
				श्री नवीन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	9473191395
				श्री कुमार प्रशान्त, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर	9471606575
14	वज्रगृह	165-मुंगेर	9431315653	श्री प्रताप भावू, कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर।	9431315653
				श्री विपिन कु० सिंह, सहायक वाणिज्य कर उपायुक्त, मुंगेर	9470001718
				श्री राजीव कु० झा, वाणिज्य कर पदा०, मुंगेर	9471404372
				श्री राजेश कु० सिंह, जिला भविष्य निधि पदा०, मुंगेर	9431632870
				श्री शिवमुनी सिंह, सहा० अभि०, LAEO, मुंगेर।	
				श्री दिगम्बर झा, सहा० अभि०, LAEO, मुंगेर।	
15	SMS मॉनिटरिंग -सह- कम्प्यूनिक्शन प्लान	श्री प्रभात कु० सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	9470488483	मो० खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	8987599105
				CDPO, बरियारपुर	9431005557
				CDPO, धरहरा	9431005551
16	VST	श्री प्रभात कु० सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	9470488483	श्री जयशंकर प्रसाद, सहकारिता प्रसार पदा०, मुंगेर (164-तारापुर)	7677727999
				श्री सनोज कु० लाल, सहकारिता प्रसार पदा०, मुंगेर (165-मुंगेर)	9852024070
				श्री प्रणय कुमार, सहकारिता प्रसार पदा०, मुंगेर (166-जमालपुर)	8294846146
17	जिला नियंत्रण कक्ष-सह-परिवाद अनुश्रवण-सह-हेल्प लाईन	श्री अमिताभ गुप्ता, SDC	9430532188	श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिन्हा, समाहर्ता के निजी सहायक, मुंगेर।	9430667780

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु भी विधि-व्यवस्था कोषांग तथा वेब कार्टिंग कोषांग का गठन किया जाए। गठित कोषांगों के वरीय पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गठित कोषांगों को सर्वप्रथम कार्यान्वित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक सामान्य बैठक दिनांक 26.02.2014 को अयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेंगे, ताकि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.03.2014 को 10:30 बजे पूर्वा० एक बैठक का आयोजन किया जा सके।

कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, 2014 :- कोशी स्नातक निर्वाचन, 2014 का कार्यक्रम निम्नवत् है-

अधिसूचना की तिथि	:- 26.02.2014
नामांकन की अंतिम तिथि	:- 05.03.2014
नामांकन की संवीक्षा	:- 06.03.2014
नाम वापसी की अंतिम तिथि	:- 08.03.2014
मतदान की तिथि	:- 23.03.2014 (8AM to 4PM)
मतगणना की तिथि	:- 26.03.2014
अंतिम रूप से निर्वाचन समाप्त होने की तिथि	:- 29.03.2014

उपरोक्त निर्वाचन असरगंज प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों, नगर निगम, मुंगेर एवं नगर परिषद्, जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत मतदान केन्द्रों पर होना है। इस हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ यथासमय पूर्ण कर लिए जाने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी विधि-व्यवस्था संधारण के मद्देनजर एक बैठक आयोजित कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी)

आदर्श आचार संहिता :- विदित हो कि कोशी स्नातक निर्वाचन, 2014 का प्रेस नोट दिनांक 19.02.2014 को निर्गत होने के साथ ही इस जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है। इस निमित्त संबंधित सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुकूल ही सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अर्थात् किसी भी परिस्थिति में राजनैतिक दलों के आयोजन/सभा/उत्सव में सरकारी सेवक भाग नहीं लेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास पर पूर्णतः रोक होगा तथा राजनैतिक नेताओं के लाल बत्ती वाले वाहनों, सायरन एवं झण्डा पर भी रोक लागू होगा। अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के संज्ञान पर तत्क्षण विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी प्रकार के राजनैतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की विडियोग्राफी कराए जाने के प्रदत्त निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त बैठक आयोजित कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाईयाँ सुनिश्चित कर लेंगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर की यह जिम्मेवारी निहित की जाती है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व आमजनों की जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रसारित कराएँगे कि जितने भी राजनैतिक दलों के प्रचार संबंधी होर्डिंग्स, प्लैक्स, बैनर, दीवारों पर पेंटिंग इत्यादि लगाए गए हैं, उसे तत्क्षण हटा लिया जाए, अन्यथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित राजनीति दल के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर)

आसन्न लोकसभा निर्वाचन, 2014 :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन, 2014 की सफलता हेतु सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। इस हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में मतदान केन्द्रों के प्रवेश एवं निकासी के सभी रास्ते, पेयजलापूर्ति, शौचालय, रैम्प, रोशनी की व्यवस्था, कमरो की संख्या, प्रतीक्षा कक्ष, छत/खिड़की/दरवाजे की अद्यतन स्थिति, मतदाताओं के श्रृंखलाबद्ध होने के लिए जगह की उपलब्धता इत्यादि का भौतिक सत्यापन क्षेत्र भ्रमण के दौरान करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित विस्तृत प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अविलम्ब उपलब्ध कराएँगे। साथ ही इस आशय की भी सूची उपलब्ध कराएँगे कि कितने मतदान केन्द्र Communication Shadow Zone में आते हैं, अर्थात् जहाँ मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहा है? यह प्रतिवेदन दो दिनों के प्राप्त हो जाना चाहिए।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी)

यह विशेष निदेश दिया जाता है कि मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के कार्य की विडियोग्राफी एवं बी0एल0ओ0 की उपस्थिति में मतदान केन्द्र का फोटो लेकर अद्यतन सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराया जाए। मतदान केन्द्रों का छायाचित्र लेने के पूर्व पीले रंग के background में काले रंग से निम्नांकित जानकारियाँ स्पष्ट अक्षरों में रंगाई जाए। विशेषकर नए मतदान केन्द्र होने की स्थिति में नया मतदान केन्द्र सं0 एवं नाम का अंकन अवश्य किया जाए :-

उदाहरणस्वरूप :-

- 28-मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
- 164-तारापुर/165-मुंगेर/166-जमालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
- मतदान केन्द्र संख्या -
- मतदान केन्द्र का नाम -
- मतदाताओं की कुल संख्या -
 - पुरुष मतदाताओं की सं0 - महिला मतदाताओं की सं0-
- बी0एल0ओ0 का नाम एवं मोबाईल नं0-
- सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0-

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी)

उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान केन्द्रों पर स्पष्ट अक्षरों में जानकारीयों रंगाई हेतु एक प्रपत्र तैयार कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएँगे ताकि सभी मतदान केन्द्रों की रंगाई में एकरूपता हो सके।

(अनुपालन- उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर)

सहायक मतदान केन्द्रों के वर्गीकरण में यह विशेष ध्यान देंगे कि दिनांक 18.01.2014 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने पर ही सहायक मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी)

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों के क्रिटिकल श्रेणी, यथा-नक्सल/उग्रवाद/भेद्य/Hyper Sensitive/Super Sensitive/Sensitive का प्रथम स्तर पर आकलन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँगे। उपरोक्त कार्य की सफलता हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपनी अध्यक्षता में क्रिटिकल मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/थाना प्रभारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-समीक्षा बैठक का आयोजन कर क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराएँगे।

क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के वर्गीकरण के क्रम में निम्नांकित तथ्यों की सहायता ली जा सकती है :-

- पुर्नमतदान के लिए लोकसभा आम चुनाव 2009 के आंकड़े।
- मतदान के प्रतिशत के लिए लोकसभा आम चुनाव 2009 के आंकड़े।
- क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का वर्गीकरण यथा C1, C2, C3 के रूप में किया गया है (बढ़ते क्रम में) अर्थात् C2 C1 से ज्यादा क्रिटिकल है।
- उग्रवाद प्रभावित मतदान केन्द्र के सामने (*) अंकित है।
- मतदान केन्द्र जहां भेद्य निर्वाचक समूह हैं, के आगे ■ अंकित करेंगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी)

इस कार्य हेतु उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर विधानसभार मतदान केन्द्रों की सूची संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएँगे ताकि समाज के कमजोर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह पाये।

(अनुपालन- उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर)

प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ईपिक का वितरण शत-प्रतिशत हो जाए। साथ ही जैसे मतदाता, जिनके पास ईपिक है, परन्तु वोट लिस्ट में नहीं है, से फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराएँगे। विशेषकर नए मतदाताओं का ईपिक शत-प्रतिशत वितरण निश्चित रूप से किया जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमाण के तौर पर वितरण पंजी अवश्य संधारित कराएँगे। साथ ही कंट्रोल टेबुल, हेडर पेज एवं बी0एल0ओ0 की सूची, जिसमें फोटो एवं मोबाईल नं0 की प्रविष्टि अवश्य की जाए, को यथाशीघ्र अद्यतन करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराएँगे। सतत् अद्यतीकरण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों का निष्पादन यथाशीघ्र कराया जाए। सभी पदाधिकारी प्राथमिकता के तौर पर पूर्व सम्पन्न निर्वाचन के लंबित दावों/आवेदनों का निष्पादन यथासमय पूर्ण कर लेंगे।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

विधि-व्यवस्था :-

लोकसभा निर्वाचन, 2014 के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए विधि-व्यवस्था का अचूक संधारण किया जाना जिला प्रशासन का सर्वोच्च उत्तरदायित्व है जिसमें किसी भी स्तर से लापरवाही मान्य नहीं होगी तथा लापरवाह एवं दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई निश्चितरूपेण की जाएगी।

इसी क्रम में सभी थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि थाना में संधारित गुंडा पंजी, फरारी/वारंटी पंजी इत्यादि पंजियों में दर्ज आपराधिक व्यक्ति/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कैम्प कोर्ट कर भा0द0वि0 की धारा 107 के अन्तर्गत बंध पत्र की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भा0द0वि0 की धारा 109, 110, 113, 114 की कार्रवाई के साथ-साथ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(2) एवं 3(3) के तहत अबतक चिन्हित लगभग 44 खूंखार अपराधियों के विरुद्ध अधिकतम संख्या में निरुद्धादेश हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे। उपरोक्त कार्यों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/

अंचलाधिकारी भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने अनुश्रवण में कार्यों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदा0/अनुमंडल पुलिस पदा0/प्र0वि0पदा0/अं0अ0/थाना प्रभारी)

पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा पूर्व सम्पन्न क्राईम मीटिंग की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया था कि थानों में लंबित Distress Warrant एवं विविध वादों के अन्तर्गत वारंट, कुर्की-जप्ती इत्यादि को सूचीबद्ध कर संबंधित मुखिया/सरपंच/चौकीदार के माध्यम से नोटिस तामिला कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही जिले में संचालित अवैध हथियार फैक्टरी, शराब फैक्टरी इत्यादि की पूर्णतः रोकथाम हेतु समय-समय पर सघन छापेमारी की जाए। इस पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन करते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन- सभी थाना प्रभारी, मुंगेर जिला)

इसी दरम्यान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय निदेशानुसार जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का डाटा बेस तैयार किया जाना है जिसके लिए सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपना अद्यतन रंगीन फोटो, मोबाईल नं0, अनुज्ञप्ति शस्त्र की विस्तृत ब्यौरा की मांग की गई है। अतएव जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इस आशय की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों तक प्रसारित की जाए कि उपरोक्त वांछित कागजात समर्पित नहीं किए जाने पर उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

(अनुपालन- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदा0/SDC, शस्त्र शाखा, मुंगेर)

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर वैसे विद्यालयों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराएँगे जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएँ, यथा-शौचालय, स्वच्छता, पेयजलापूर्ति, विद्युत, सम्पर्क पथ इत्यादि विद्यमान हो, जहाँ सी0पी0एफ0 बलों को आवासित कराया जा सकता है। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी Peoples Representative Act, Property of Defacement Act, Loudspeaker Act इत्यादि के अन्तर्गत निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक.....190...../नि0, मुंगेर, दिनांक.....25/02/2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/सभी वरीय उपसमाहर्ता/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, मुंगेर/जिला अवर निबंधक, मुंगेर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर/उत्पाद अधीक्षक, मुंगेर एवं अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 148/नि0, दिनांक 22.02.2014 द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर।